

मैग्ना कार्टा: ब्लूप्रिंट ऑफ डेमोक्रेसी

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

[मैग्ना कार्टा \(1215\)](#) आज भी संवैधानिक शासन की एक मूल आधारशिला बनी हुई है। इसके हस्ताक्षर के **810 वर्ष बाद भी** इसका महत्त्व बना हुआ है। [हार्वर्ड विश्वविद्यालय](#) में इसकी पुनः खोज ने [मानवाधिकारों](#) और [कानून के शासन](#) पर इसके स्थायी प्रभाव को लेकर पूरे विश्व में नई चर्चाओं का विषय बन गया है।

मैग्ना कार्टा

- **परिचय:** मैग्ना कार्टा (लैटिन: महान अधिकार-पत्र), जिस पर **15 जून, 1215** को लंदन के नज्दिक **रन्नीमीड मैदान** में **इंग्लैंड के राजा जॉन** ने हस्ताक्षर किये थे, ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि **राजा कानून से ऊपर नहीं है** और **उसकी मनमानी शक्तियों को सीमित** किया गया।
- **उत्पत्ति:** यह तब शुरू हुआ जब बैरन (सामंतों) ने **राजा जॉन के मनमाने शासन** के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसके **अत्यधिक करों व सैन्य असफलताओं** (जैसे 1204 में **नॉरमैंडी की हार** और 1214 में **बौवसि का युद्ध**) के उत्तर में औपचारिक अधिकारों की मांग की।
 - **बैरन (सामंतों)** को राजाओं से भूमि अनुदान मिलता था, जिसके बदले में उन्हें **वफादारी** दिखानी होती थी और युद्ध के समय राजा के लिये **सैनिक (नाइट्स)** उपलब्ध कराने होते थे।
- **कानून की सर्वोच्चता:** हालाँकि मैग्ना कार्टा की सीमाएँ थीं (यह मुख्यतः अभिजात वर्ग के पुरुषों को सुरक्षा देता था, न कि किसानों या महिलाओं को), फिर भी इसने **"कानून के शासन" (Rule of Law)** का सिद्धांत स्थापित किया, यहाँ तक कि **राजा भी कानून के अधीन** था।
- **प्रावधान:** इस दस्तावेज़ में **63 खंड** निर्धारित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - **खंड 39:** **मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, कारावास या नरिवासन** से सुरक्षा प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि केवल समान दर्जे के व्यक्तियों के वैध निर्णय या देश के कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
 - **खंड 40:** यह आश्वासन देता है कि **न्याय को बेचा नहीं जाएगा, अस्वीकार नहीं किया जाएगा और विलंबित नहीं किया जाएगा**।
- **विरासत:** इसने **बंदी प्रत्यक्षीकरण** जैसे सिद्धांतों और मनमानी हिरासत के विरुद्ध कानूनी संरक्षणों को प्रेरित किया।
- इसने [अमेरिकी क्रांति](#) के दौरान **संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान** और [बिल ऑफ राइट्स](#) को प्रभावित किया।
- यह अब भी सत्तात्मकता के विरुद्ध प्रतिरोध और **कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकारों** के दावे का प्रतीक बना हुआ है।

और पढ़ें: [भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ](#)